भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 621
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला

†621. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश ने हाल ही में मध्य एशियाई गणराज्यों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में किस प्रकार वैश्विक नेतृत्व को अवगत कराया है;
(ख) क्या भारतीय एजेंसियां मध्य एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ कोई विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता साझा करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या आतंकवाद के वित्तपोषण के समान जोखिमों का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों के साथ इस तरह के सहयोग को बढ़ाने की कोई भविष्य की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ भारत की बढ़ती वैश्विक अगुवाई के अंतर्गत, राजस्व विभाग ने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से दिनांक 21–22 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार "क्रिप्टोकरेंसी, क्राउडफंडिंग और गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से आतंकवाद वित्तपोषण को रोकना (सीएफ़टी)" विषय पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

यह पहल आतंकवाद के वित्तपोषण, विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों से उभरते खतरों और सामाजिक संरचनाओं के दुरुपयोग से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कार्यक्रम राजस्व विभाग के एफ़एटीएफ़ सेल, वित्तीय आसूचना इकाई इंडिया (एफ़आईयू आईएनडी), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), गृह मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञों और ईएजी के एक विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सत्र शामिल थे:

1. वर्चुल संपत्ति के दुरुपयोग का पता लगाना और जाँच करना।
2. चरमपंथी गतिविधियों के लिए क्राउडफंडिंग के तरीके।
3. एनपीओ की निगरानी के लिए विनियामक और वित्तीय आसूचना रूपरेखा।

यह ध्यान देने योग्य है कि सीएआर के साथ विशेषज्ञता का आदान-प्रदान अप्रैल के प्रशिक्षण तक ही सीमित था, तथा प्रशिक्षण के बाद किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता का आदान-प्रदान नहीं किया गया।

(ख): भारत मध्य एशियाई प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञता साझा कर रहा है। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित व्यावहारिक सत्र और बंद कमरे में परामर्श शामिल थे:

1. आतंकवाद से संबंधित जांच में वित्तीय आसूचना जानकारी एकत्र करना।
2. वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के दुरुपयोग से उभरते जोखिम।
3. क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग।
4. कट्टरवाद के लिए वित्तपोषण और एनपीओ के जोखिम उठाने की क्षमता को समझने के तंत्र।
5. वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित भारतीय एजेंसियों के केस अध्ययन।

इसके अतिरिक्त, सीएआर के प्रतिभागियों को उनके अपने देश के क्षेत्राधिकार में उपयोग हेतु उनके देश की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित अध्ययन सामग्री भी प्रदान की गई।

(ग): भारत ने आतंक फंडिंग जैसी समान चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों के साथ भविष्य में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है। राजस्व विभाग, विदेश मंत्रालय के सहयोग से, राजनयिक और परिचालन संबंधी समन्वय के आधार पर बिम्सटेक देशों के लिए इसी तरह का विषयगत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

भारत आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफ़टी) के लिए बने दो क्षेत्रीय समूह एशियाई प्रशांत समूह (एपीजी) और यूरेशियन समूह (ईएजी) का भी सदस्य है। भारत इन समूहों के माध्यम से समय-समय पर अपना सहयोग प्रदान कर रहा है।
